उपस्थितिः– श्री बसंत कुमार,
अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद–प्रथम, समस्तीपुर.
अग्रिम जमानत आवेदन सं.0–908 / 2026
राजा कुमार चौधरी बनाम बिहार राज्य
आदेश दिनांक–13.07.2026

अन्तर्गत न्यायालय, अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद–प्रथम, समस्तीपुर

(चकमेहसी थाना कांड संख्या–51 /2026 से उत्पन्न, अन्तर्गत धारा– 30(ए) बिहार मद्यनिषेध उत्पाद एवं संशोधन अधिनियम–2022.) भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम–482 से संबंधित।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–908 / 2026

1. **राजा कुमार चौधरी,** पिता–विनोद चौधरी
निवासी ग्राम– गोधवारा, थाना–मोरो, जिला– दरभंगा।

आवेदक की तरफ से ....श्री डॉ मनोज शर्मा विद्वान अधिवक्ता।

बनाम

बिहार सरकार...विपक्षी श्री देवेश कुमार विशेष लोक अभियोजक उत्पाद।

दिनांक	आदेश फलक	टिप्पणी
13.07.2026	1. उपरोक्त वर्णित अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त / आवेदिका ममता देवी, जो **चकमेहसी थाना कांड संख्या–51 /2026 से उत्पन्न, अन्तर्गत धारा– 30(ए) बिहार मद्यनिषेध उत्पाद एवं संशोधन अधिनियम–2022** से संबंधित है, जिसकी एक प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को प्राप्त पहले से ही प्राप्त कराया गया है। 2. केस डायरी और आपराधिक इतिहास की मॉग की गई थी जो अभिलेख पर अप्राप्त है। 3. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है ,कि सूचक संजीव कुमार सिंह स.अ.नि. चकमेहसी द्वारा यह अभियोग लाया गया है कि दिनांक 21.03. 2026 को समय करीब 11:15 गुप्त सूचना प्राप्त हुई की ग्राम गोढ़वारा थाना मोरो जिला दरभंगा के राजा कुमार चौधरी पिता विनोद चौधरी मदनपुर चौर होकर अपने मोटरसाईकिल से अवैध विदेशी शराब लेकर जाएगा। सूचना के सत्यापन हेतु वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए गस्ती दल के सहयोग से वाहन चेकिंग लगाया समय करीब 12:35 बजे जहां से एक मोटरसाईकिल पर सवार एक व्यक्ति प्लास्टिक के बोरा में कुछ समान लादे आ रहा था। जो पुलिस चेकिंग को वाहन चैकिंग करते देख अपना गाड़ी रोक दिया वाहन सवार व्यक्ति राजा कुमार चौधरी अपना मोटरसाईकिल छोड़ कर भागने लगा सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ने का प्रयास किया परन्तु नाहर में कुद कर भागने में सफल रहा। मोटरसाईकिल की विधिवत तलाशी लिए इसी क्रम में मोटरसाईकिल रजी नं– बी.आर.–07बीसी–8730 चेसिस नं.–एमबीएलजेएडब्लू425 आर9 सी00531,इंजन–जेए07एआरआर9सी00648 हिरो गलेमर पर लदे उजले रंग	

	प्लास्टीक के बोरा से कुल मात्रा 4.5(साढ़े चार) लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ जिसका विधिवत जप्ति सूची बनाकर जप्त किया। जप्त विदेशी शराब को लेकर थाना आया। 4. आवेदक / अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए कथन किये कि आवेदिका /अभियुक्त निर्दोष है। आवेदिका / अभियुक्त का किसी उपरी न्यायालय में अग्रिम जमानत या नियमित जमानत आवेदन लम्बित नहीं है। आवेदिका / अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाये। 5.विद्वान विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किये और यह भी कथन किये कि बिहार राज्य में धारा—482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संदर्भ में धारा—76(2) के अधीन बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत यह आवेदन स्वीकृति योग्य नहीं है। 6. दोनों पक्षों को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सूचक संजीव कुमार सिंह स.अ.नि. चकमेहसी द्वारा यह अभियोग लाया गया है कि दिनांक 21.03.2026 को समय करीब 11:15 गुप्त सूचना प्राप्त हुई की ग्राम गोढ़वारा थाना मोरो जिला दरभंगा के राजा कुमार चौधरी पिता विनोद चौधरी मदनपुर चौर होकर अपने मोटरसाईकिल से अवैध विदेशी शराब लेकर जाएगा। सूचना के सत्यापन हेतु वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए गस्ती दल के सहयोग से वाहन चेकिंग लगाया समय करीब 12:35 बजे जहां से एक मोटरसाईकिल पर सवार एक व्यक्ति प्लास्टिक के बोरा में कुछ समान लादे आ रहा था। जो पुलिस चेकिंग को वाहन चैकिंग करते देख अपना गाड़ी रोक दिया वाहन सवार व्यक्ति राजा कुमार चौधरी अपना मोटरसाईकिल छोड़ कर भागने लगा सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ने का प्रयास किया परन्तु नाहर में कुद कर भागने में सफल रहा। मोटरसाईकिल की विधिवत तलाशी लिए इसी क्रम में मोटरसाईकिल रजी नं— बी.आर.—07बीसी—8730 चेसिस नं.—एमबीएलजेएडब्लू425 आर9 सी00531,इंजन—जेए07एआरआर 9सी00648 हिरो गलेमर पर लदे उजले रंग प्लास्टीक के बोरा से कुल मात्रा **4.5(साढ़े चार)** लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ जिसका विधिवत जप्ति सूची बनाकर जप्त किया। जप्त विदेशी शराब को लेकर थाना आया। जिसके उपरान्त स्वलिखित आवेदन थाना में दिए और **धारा—30(ए) बिहार मद्यनिषेध उत्पाद एवं संशोधन अधिनियम—2022** में प्राथमिकी दर्ज की गई। 7.यह वाद अभी अनुसंधान के अधीन है तथा **धारा— 30(ए) बिहार मद्य निषेध उत्पाद एवं संशोधन अधिनियम—2016** के अंतर्गत प्रथमदृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है और धारा—76(2) के अधीन बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत यह आवेदन स्वीकृति योग्य नहीं है।	

उपस्थितिः– श्री बसंत कुमार,
अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद–प्रथम, समस्तीपुर.
अग्रिम जमानत आवेदन सं.0–908 / 2026
राजा कुमार चौधरी बनाम बिहार राज्य
आदेश दिनांक–13.07.2026

	उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए मैं तथा अभियुक्त राजा कुमार चौधरी को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायसंगत नहीं समझता हूँ, अत : उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है। लेखापित विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम, समस्तीपुर। 13.07.2026	